Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 04/11/2020

Certificate No. V0D2020K23

GRN No. 69013551

Stamp Duty Paid : ₹ 6400 (Rs. Only)

Penalty : ₹ 0 (Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Omparkash

H.No/Floor : Na Sector/Ward : Na LandMark : Na

City/Village : Badshahpur District : Gurugram State : Haryana

Phone: 98******80 Others : Two person etc

Buyer / Second Party Detail

Name : Ms dineshchandra r aipl

H.No/Floor : Na Sector/Ward : Na LandMark : Na

City/Village: Ahmedabad District : Ahmedabad State : Gujrat

Phone : 98******80 Others : Through narender saigal

Purpose : PATTA NAMA DEED

3616

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

पत्र	सालाना लगान	स्टाम्प	शब्द
पटटा नामा भूमि	4,22,500/-	6,400/-	300

3 साल V0D2020K23

मौजा किरन्ज

हम औमप्रकाश – सतीश – सतपाल पुत्रान चिरन्जीलाल पुत्र उमरावसिंह सर्व निवासी बादशाहपुर तह0 व जिला गुरूग्राम के है। जो कि हम भूमि खे/खा 279/294 मुन0 12 किला 22/2(2-5) 23/2(2-5) 24(3-15) मुन0 14 किला0 2(8-0) 9(8-0) 10(8-0) मुन0 15 किला0 6(7-10) जोड रकबा 39 कनाल 15 मरले (सालम) वाके मौजा किरन्ज तह0 व जिला नूँह के उपरोक्त हिस्सो अनुसार मालिक काबिज बरूवे जमाबन्दी साल 2016-2017 अनुसार है। हमारी इस उपरोक्त भूमि किसी प्रकार का कोई भार नही है। उपरोक्त भूमि रहन, बय, पटटा, सम्पति हस्तान्तरण, हकत्यागनामा, डिग्री आदि नही की हुई है। तथा इस का कोई अन्य इकरारनामा नही किया हुआ है। इस भूमि पर लोन भी नही लिया हुआ है। गरजे कि हर प्रकार से पाक साफ है हमे उपरोक्त भूमि से कोई विशेष लाभ नही है। उपरोक्त भूमि को मुन्तकिल/पटटे पर देने में कोई कानूनी रूकावट नही है हमे विकास कार्य करने व घरेलू खर्चा के लिए धन की आवश्यकता है। अब हमने स्वस्थ चित व स्थिर बुद्धि से अपनी इस उपरोक्त भूमि रकबा 39 कनाल 15 मरले को सालाना लगान मुव 4,22,500/- लगान की दर से तिथि

ओमप्रकाश सतीश कुमार Sat Pal

प्रलेख नं:3616

दिनांक:11-11-2020

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE

तहसील/सब-तहसील नुह गांव/शहर किरन्ज स्थित किरन्ज

शहरी - म्युनिसिपल क्षेत्र सीमा के बाहर अन्य क्षेत्र

पता :

भवन का विवरण

कृषि बरानी 39 Kanal 15 Marla

खेवट नम्बर :- 279

धन सबंधी विवरण

राशि 422500 रुपये कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 6337 रुपये

स्टाम्प नं : v0d2020k23 स्टाम्प की राशि 6400 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 1000 रुपये EChallan:69252352 पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये

Drafted By: Sanjay Kumar Garg Adv Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनांक 11-11-2020 दिन बुधवार समय 1:12:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी सतपाल पुत्र चिरन्जीलाल सतीश पुत्र चिरन्जीलाल औमप्रकाश पुत्र चिरन्जीलाल निवास द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया |

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (नुह)

Joint Sub-Registrar NUH

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

सतपाल सतीश औमप्रकाश

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है |

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है|

दिनांक 11-11-2020

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (नुह)

Joint Sub-Registrar NUH

सतपाल सतीश औमप्रकाश

उपरोक्त पटटा लेने वालाव श्री/श्रीमती/कुमारी MS Dineshchandra R Aggarwal Infrakan Pvt Ltd thru Narender SehgalOTHER अन्यकुछ ... हाजिर है | प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया | प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पटटा लेने वाला ने मेरे समक्ष पटटा देने वाला को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया |दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी Prakash Lum पिता --- निवासी Kherli Dausa व श्री/श्रीमती/कुमारी Rakesh Kumar पिता Raghbir Singh निवासी Kherli Dausa ने की |

साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है |

दिनांक 11-11-2020

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(नुह)

Joint Sub-Registrar NUH

घरेलू खर्चा के लिए धन की आवश्यकता है। अब हमने स्वस्थ चित व स्थिर बुद्वि से अपनी इस उपरोक्त भूमि रकबा 39 कनाल 15 मरले को सालाना लगान मुब 4,22,500/—लगान की दर से तिथि 05–11–2020 से तिथि 04–11–2023 तक 3 साल के लिए **मैसर्ज दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड निवासी 401, द ग्रैंड मॉल, एस एम रोड अम्बावाडी, अहमदाबाद गुजरात – 380015 बजरियेः– नरेन्द्र सेगल** को पटटे पर देते है। फर्म मजकूर इस भूमि को पटटा पर लेना स्वीकार करते है। भूमि रकबा 39 कनाल 15 मरले का कब्जा पटटा फर्म को मोके पर दे दिया है। हमने उपरोक्त भूमि का इस साल का जर पटटा मुब 4,22,500/– पटटा फर्म/मजकूर से पहले बजरिये चैक न0 000304 दिनांक 06.11.2020 – 000306 दिनांक 06.11.2020 – 000407 दिनांक 10.11.2020 सर्व जारीकर्ता एच0डी0एफ0सी0 बैंक दिल्ली प्राप्त कर चुके है। बकाया जर पटटा राशि साल वा साल प्राप्त करते रहेगे और रसीद देते रहेगे जर पटटा अदा ना होने पर कानूनी कार्यवाही करके जर पटटा वसूल करने का अधिकार होगा। पटटा ग्रेहिता उपरोक्त भूमि मे कंक्रीट बैचिंग प्लाट, हॉट मिक्स प्लांट, कंज्यूमर पंप, स्टॉक यार्ड, केशर, आवास, स्टाफ मेस, वर्कर्स मेस, प्रोजेक्ट ऑफिस, स्टोर्स क्यूसी रूम, सीमेंट गोदाम और अन्य अस्थाई संरचनाएं जो परियोजना के लिए प्रयोग करे गरजे कि पटटेदार अपनी सुविधा के अनुसार उपरोक्त भूमि को हर प्रकार से प्रयोग मे लाए हमे किसी प्रकार का कोई उजर व ऐतराज नही होगा। म्याद समाप्त हो जाने पर पटटेदार हमे उपरोक्त भूमि का कब्जा वापिस करने का पाबन्द रहेगे। व पटटा म्याद बीत जाने पर यह पटटा नामा स्वंय रदद माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पटटे मे जो शर्ते रह गई है वे ऑपसी अनुबध के अनुसार रहेगी जिसकी प्रति दोनो पक्षो के पास रहेगी।यदि मालिक भूमि पटटा नामा की अवधि के दौरान उपरोक्त भूमि को बय आदि करेगा तो वह पटटा के अधीन होगा। लिहाजा यह पटटा नामा लिख दिया है ताकि सनद रहे। नूंह तिथिः– 05–11–2020

हस्ता पटटा कर्तागणः–, औमप्रकाश – सतीश – सतपाल
(आ0 न0 6839 6231 7211) (आ0 न0 2690 3373 5160) (आ0 न0 2690 3373 5160)

ओमप्रकाश सतीश कुमार SatPal

पटटा ग्रेहता फर्म की और सेः– नरेन्द्र सेगल (आ0 न0 3421 7778 4333)

गवाहः–1– प्रकाश नम्बरदार नि0 खेडलीदोसा तह0 व जिला नूँह।

–2– राकेश कुमार पुत्र रगबीर सिंह नि0 हाजीपुर तह0 सोहना जिला गुरुग्राम।

Drafted by

Reg.No.	Reg. Year	Book No.
3616	2020-2021	1

पटटा देने वाला

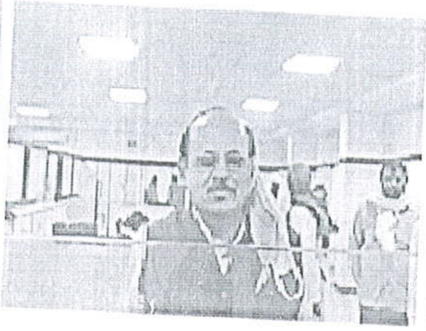

पटटा लेने वाला

गवाह

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

पटटा देने वाला :- सतपाल सतीश औमप्रकाश

पटटा लेने वाला :- thru Narender SehgalOTHERMS Dineshchandra R Aggarwal Infrakan Pvt Ltd

गवाह 1 :- Prakash Lum

गवाह 2 :- Rakesh Kumar

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 3616 आज दिनांक 11-11-2020 को बही नं 1 जिल्द नं 69 के पृष्ठ नं 170 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 362 के पृष्ठ संख्या 52 से 54 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है |

दिनांक 11-11-2020

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(नूह)

Joint Sub-Registrar NUH

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 05/11/2020

Certificate No. G0E2020K804

GRN No. 68932293

Stamp Duty Paid : ₹ 101
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Omprakash
H.No/Floor 0 Sector/Ward : 0 LandMark : Badshahpur
City/Village: Badshahpur District : Gurugram State : Haryana
Phone: 70******42 Others : Satish and satpal son of chiranji lal

Buyer / Second Party Detail

Name : Dinesh chandra r Agarwal Infracon pvt ltd
H.No/Floor : 401 Sector/Ward : 0 LandMark : The grand mall s m road
City/Village: Ambawari District : Ahamdabad State : Gujrat
Phone : 70******42

Purpose : Rent Agreement

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

अनुबंध पत्र

श्री ओमप्रकाश (आधार नम्बर 6839 6231 7211) – सतीश (आधार नम्बर 2690 3373 5160) – सतपाल (आधार नम्बर ~~2690 3373 5160~~) 3592 8721 8608
पुत्रान श्री चिरन्जीलाल
नजदीक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,
बादशाहपुर, जिला गुरुग्राम– 122101 (हरियाणा)

एवं

दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा0 लिमिटेड
401, द ग्रैंडमॉल, एस एम रोड
अम्बावाड़ी, अहमदाबाद 380015
गुजरात, भारत

विषयः प्रोजेक्ट कैंप एवं अस्थायी संरचनाएं जो परियोजना के लिए आवश्यक हो सकती हैं, की स्थापना के उद्देश्य के लिये भूमि देने का अनुबंध ।

1. यह कहा जाता है कि, श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल पुत्रान श्री चिरन्जीलाल वाका मौजा गाँव किरन्ज, तहसील व जिला नूँह के, खसरा नंबर 12//- 22/2, 23/2, 24, 14//- 2, 9, 10 15//- 6 में 24.81 बीघा (औमप्रकाश 8.27 बीघा व सतीश 8.27 बीघा व सतपाल 8.27 बीघा) भूमि के मालिक हैं । और वह प्रोजेक्ट कैंप की स्थापना के लिए अपनी जमीन किराये पर देने की स्वीकृति देते हैं। इस जमीन पर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड कंक्रीट बैचिंग प्लांट, हॉटमिक्स प्लांट, कंज्यूमर पंप, स्टॉक यार्ड, क्रशर, आवास, स्टाफमेस, वर्कर्समेस, प्रोजेक्ट ऑफिस, स्टोर्स क्यूरी रूम, सीमेंट गोदाम और अन्य अस्थाई संरचनाएं जोपरियोजना के लिए आवश्यक होगी बनायेगें और इस पर श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

2. भूमि को कार्य में उपयोग करने के लिए कुल शुल्क रूपये 17,000.00 (रूपये सत्रह हजार) प्रतिवर्ष प्रति बीघा 24.81 बीघा भूमि के लिए देय होगा । भूखंड एवं भूमि का आकार खसरा नंबर 12//- 22/2, 23/2, 24, 14//- 2, 9, 10 15//- 6 में 24.81 बीघा (औमप्रकाश 8.27 बीघा व सतीश 8.27 बीघा व सतपाल 8.27 बीघा) रिकॉर्ड और दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य भुगतान मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देय नहीं होगा।

3. भूमि समझौते की अवधि

भूमि समझौते की अवधि (खसरा नंबर 12//- 22/2, 23/2, 24, 14//- 2, 9, 10 15//- 6 में 24.81 बीघा (औमप्रकाश 8.27 बीघा व सतीश 8.27 बीघा व सतपाल 8.27 बीघा लगभग 24.81 बीघा) 2 साल होगी । यदि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड भूमि समझौते की अवधि दो साल से अधिक का विस्तार करना चाहते है, तो हम श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल बिना किसी आपत्ति के एक वर्ष की अवधि के लिए इस तरह के विस्तार की अनुमति देते हैं । इस एक वर्ष की अवधि में भूमि शूल्क क्लॉज नंबर 1 पर उल्लेखित दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देय होगा। इस समझौते के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी । यदि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड तीन साल से आगे की अवधि के लिए भूमि पर अपना परिचालन जारी रखना चाहते है, तो दोनो पक्ष की आपसी सहमति से तय की हुई दरों पर समझौता किया जायेगा । समझौते की अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी । यदि परियोजना का समापन 24 महीने (चौबीस महीने) से कम समय में पूरा हो जाता है, तो भी उस स्थिति में मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड सहमति के अनुसार 2 वर्ष के किराए का भुगतान करेगें।

ओमप्रकाश
सतीश कुमार
Sat Pal

4. <u>वित्तीय नियम और भुगतान प्रक्रिया--</u>

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड क्लॉज नंबर 1 में उल्लेखित किराया राशि का अग्रिमभुगतान रूपये 25,000.00 (रूपये पचीस हजार मात्र) काट कर हम लोगों के नाम से चेक के माध्यम से एक सप्ताह में इस अनुबंध की तारीख से करेंगें । हम सभी बैंक विवरण, खाता संख्या, खाता धारक, बैंक आई०एफ०सी० कोड आदि प्रदान करेंगें और भुगतान किए जाने पर रसीद दे देंगें ।

5. <u>ट्यूबवेल स्थापित, भूमि में स्थापित ट्यूबवेल, एवं बिजली कनेक्शन ट्रांसफार्मर द्वारा--</u>

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को भूमि में पहले से स्थापित ट्यूबवेलों के उपयोग की अनुमति रहेगी जो टयूबवेल सभी विद्युत के बलों और इलेक्ट्रिक मीटर के साथ एच-पोल पर लगे ट्रांसफार्मर से संचालित है । मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा मुझे या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इसके उपयोग के लिए कोई अतिरिक्त लागत देय नहीं होगी । परियोजना की गतिविधियों के पूरा होने तक बिजली के मीटर की वास्तविक रीडिंग के अनुसार बिजली की खपत के लिए बिजली बिल का भुगतान मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड करेगा । बिल का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से सरकारी इलेक्ट्रिक विभाग को किया जाएगा और मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड मेरे सभी इलेक्ट्रिक पंप को उचित और सुचारू रूप से चलने वाले कंडिशन में वापिस करेंगें।

6. <u>पुनः निर्माण--पहुंच मार्ग का ग्रेडिंग--चौड़ीकरण</u>

हम श्री औमप्रकाश -- सतीश -- सतपाल अपनी भूमि में एप्रोच रोड के लिए चौड़ीकरण के दौरान क्षेत्र की गतिविधियों में समर्थन करने के लिए सहमत हैं, जिसे 30 मी०(90 फीट) चौड़ाई के लिए आवश्यक हो सकता है, जिसके लिए मैं मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा पूरा होने तक उपकरण, जनशक्ति की तैनाती के दौरान समर्थन प्रदान करेंगें । हमारी भूमि में कोई भी बाधा, वैधानिक प्रबंधन, किसी भी पहुंचमार्ग के सुचारू चौड़ीकरण के लिए स्थानीय प्रबंधन की जिम्मेदारी हम लोगों श्री औमप्रकाश -- सतीश -- सतपाल की होगी।

7. <u>उपयोग के बाद भूमि मालिक को जमीन सौंपना--</u>

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अपनी सभी सामग्रियों और उपकरणों की सफाई और पूरा भूमि मलबा हटाने के बाद मुझसे किराए पर ली गई जमीन सौंप देगा।

ओमप्रकाश
सतीश कुमार
Sat Pal

8. हम श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल,

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को कंक्रीट नींव में लोहे के पोस्ट के साथ कांटेदार तार की बाड एवं स्टील गेट को लगाने की अनुमति देते हैं जिसे परियोजना के पूरा होने के बाद हटा लिया जाएगा और हमारा बाड़, स्टील गेट एवं उपयोग में लाये हुए किसी भी सामान, मेटेरियल अथवा उपकरणों पर कोई अधिकार नहीं होगा । यह सम्पति मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा०लिमिटेड की है। इसके अलावा, मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अपनी परियोजना के निष्पादन के लिये इस भूमि पर आदमी और मशीनरी की सुविधा के लिए आवश्यक किसी भी विकास को करने के लिए स्वतंत्र है, जो हम श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल को पूरी तरह स्वीकार्य होगा।

9. नया निर्माण बिजली कनेक्शन–

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड निर्माण गतिविधियों के लिए एच० पोल या बिजली मीटर केबल्स, एल०टी०/एच०टी० लाइन को ठीक करने या नया बिजली कनेक्शन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं और हम सब श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल को कोई आपत्तिन हीं होगी । यह कनेक्शन सभी गतिविधियों के पूरा होने के बाद मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा हटा दिया जाएगा ।

10. चल रहे काम के दौरान, हमारी शिविर (कैम्प) भूमि में आसपास के क्षेत्र से संबंधित स्थानीय संगठन एवं घटनाओं के कारण से किसी भी बाधा को हम लोगों श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल द्वारा तुरंत समाधान किया जाएगा । यह सुनिश्चित करना हम लोगों श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल की जिम्मेदारी होगी कि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा हमारी भूमि उपयोग के संबंध में कोई स्थानीय गतिरोध उत्पन न हो ।

11. निराकरण–अस्थाई संरचनाओं, प्लांट और अन्य संरचनाओं को हटाना–

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड सभी अस्थायी संरचनाओं स्टोर, परियोजना कार्यालय आवास– शेड, प्लांट जो स्थापित किये हैं को हटा लेगा । मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा स्थापित या लाए गए किसी भी सामग्री, मेटेरियल अथवा उपकरणों पर हम लोगों श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल का कोई अधिकार नहीं होगा । इस समझौते के पूरे समय के बीच मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा लाई गयी किसी भी सामग्री पर हम लोगों श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल का कोई अधिकार नहीं होगा यह सभी संपति मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड पूर्ण रूप से है।

ओमप्रकाश

सतीश कुमार

Sat Pal

12. मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड के निर्देशों और प्रारूप के अनुसार, हम श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल 36 महीने (तीन साल) या उससे अधिक अवधि के लिए कृषि भूमि को औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्य में परिवर्तित करने के लिए, जिलाधिकारी, नूंह प्राधिकरण को लिखित रूप से अनुरोध करेंगें एवं ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर देंगें । मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अपनी व्यवस्था, संसाधनों और खर्चों के तहत प्राधिकरण के साथ सभी आवश्यक संपर्क करेगा । हम श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल केवल एक सहायक भूमिका में रहेंगें इसके अलावा, किसी भी अनुमोदन या वैधानिक कार्य के लिए, जहां भी हमारे श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल के हस्ताक्षर या उपस्थिति की आवश्यकता होगी हम श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल आगे बढ़ने के लिए वैधानिक प्रक्रियाओं के लिए मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा निर्देशित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगें एवं उपस्थित रहेंगें ।

13. किसी भी परिचालन या वित्तीय शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच विवाद और निपटान दोनों पक्षों के बीच आपसी परामर्श से समाधान कर लिए जाएंगे। किसी भी अनसुलझे मामले के लिए, मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

14. पहलीकिस्त के लिए किराए का भुगतान-

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड हम श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल को उनके भूमि में भाग (हिस्सा) के अनुसार उनके नाम पर चेक के माध्यम से कुल वार्षिक किस्त रूपये 17,000/– (रूपये सत्रह हजार मात्र) प्रति वर्ष प्रति बीघा देंगें। प्रथम किस्त में से रूपये 25,000/– (रूप्ये पच्चीस हजार) की कटौती के बाद भुगतान किया जाएगा । वार्षिक किस्त हर साल अग्रिम दी जायेगी। भुगतान प्राप्त होने पर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को किस्त की रसीद दी जायेगी । सभी भुगतान दो वर्षों में वार्षिक अवधि की समान किस्तों में किए जाएंगे।

15. हम श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को कोई कानूनी नोटिस नहीं देंगें ।

अगर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अनुरोध करते हैं तो हम श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल परियोजना के पूरा होने से पहले या उससे पहले, यानी 24 महीने और 12 अतिरिक्त महीनों के बीच कैंप भूमि को खाली करने या छोड़ने के लिए कोई कानूनी नोटिस नहीं देंगें। श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल जमीन सौंपने तथा करारनामे पर हस्ताक्षर करने के बाद से परियोजना के निर्माण एवं पूरा करने तक हस्तक्षेप या कोई बाधा मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड के लिए उत्पन्न नहीं करेंगें ।

ओमप्रकाश
सतीश कुमार
Sat Pal

16. मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड काम के समाप्त होने के बाद मेरी भूमि वापिस करते वक्त आज की स्थिति के अनुसार डोलबन्दी करके देंगें।

औमप्रकाश

ओमप्रकाश

सतीश

सतीश कुमार

सतपाल

Sat Pal

नरेन्द्र सहगल

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड

साक्षीगण-

1

Hemant Pathak S/O Ramchand
Vill. Palwara Teh. & distt Palwal

2.

Rakesh Kumar
S/o Sh. Raghbir Singh
VPO Hazipur Sohna

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 04/11/2020

Certificate No. V0D2020K22

GRN No. 69013438

Stamp Duty Paid : ₹ 13000
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Deendayal

H.No/Floor : Na Sector/Ward : Na LandMark : Na

City/Village : Badshahpur District : Gurugram State : Haryana

Phone: 98******80 Others : One person etc

Buyer / Second Party Detail

Name : Ms dineshchandra r aipl

H.No/Floor : Na Sector/Ward : Na LandMark : Na

City/Village: Ahmedabad District : Ahmedabad State : Gujrat

Phone : 98******80 Others : Through narender saigal

Purpose : PATTA NAMA DEED

8615

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

पत्र	सालाना लगान	स्टाम्प	शब्द
पटटा नामा भूमि 3 साल मौजा किरन्ज	8,65,500/—	13,000/— V0D2020K22	300

हम दीनदयाल (मालिक 1/3 भाग) – रामबीर (मालिक 2/3 भाग) पुत्रान रामफल सर्व निवासी बादशाहपुर तह0 व जिला गुरूग्राम के है। जो कि हम भूमि खे/खा 278/293 मुन0 12 किन 18(8–4) 19/2(4–0) 21/2(0–11) 22/1(5–15) 23/1(5–15) मुन0 14 किन0 1(8–0) मुन0 15 किन0 5(7–10) जोड रकबा 39 कनाल 15 मरले (सालम) व खे/खा 348/374 मुन0 11 किन0 16/1(2–0) 16/2(2–0) 24(7–10) 25(8–0) मुन0 12 किन0 20(8–0) 21/1(7–9) जोड रकबा 34 कनाल 19 मरले (सालम) व खे/खा 451/486 मुन0 15 किन0 4 रकबा 6 कनाल 15 मरले (सालम) कुल जोड रकबा 81 कनाल 9 मरले वाके मौजा किरन्ज तह0 व जिला नूँह के उपरोक्त हिस्सो अनुसार मालिक काबिज बरूवे जमाबन्दी साल 2016–2017 अनुसार है! हमारी इस उपरोक्त भूमि किसी प्रकार का कोई भार नही है। उपरोक्त भूमि रहन, बय, पटटा, सम्पति हस्तात्रण, हकत्यागनामा, डिग्री आदि नही की हुई है। तथा इस का कोई अन्य इकरारनामा नही किया हुआ है। इस भूमि पर लोन भी नही लिया हुआ है। गरजे कि हर प्रकार से पाक साफ है हमे उपरोक्त भूमि से कोई विशेष लाभ नही है।

प्रलेख नं:3615

दिनांक:11-11-2020

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE

तहसील/सब-तहसील नुह | गांव/शहर किरन्ज किरन्ज किरन्ज | स्थित किरन्ज

शहरी - म्युनिसिपल क्षेत्र सीमा के बाहर | अन्य क्षेत्र

पता : kiranj

भवन का विवरण

कृषि बरानी | 79 Kanal 49 Marla

खेवट नम्बर :- 278,348,451

धन सबंधी विवरण

राशि 865500 रुपये | कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 12982 रुपये

स्टाम्प नं : v0d2020k22 | स्टाम्प की राशि 13000 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 5000 रुपये | EChallan:69257727 | पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये

Drafted By: sanjay kumar garg | Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनांक 11-11-2020 दिन बुधवार समय 1:10:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी दीनदयाल पुत्र रामफल रामबीर पुत्र रामबीर पुत्र रामफल निवास द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया |

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (नुह)

Joint Sub-Registrar NUH

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

दीनदयाल रामबीर रामबीर

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है |

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एंव ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है|

दिनांक 11-11-2020

दीनदयाल रामबीर रामबीर

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (नुह)

Joint Sub-Registrar NUH

उपरोक्त पटटा लेने वालाव श्री/श्रीमती/कुमारी MS Dineshchandra R Aggarwal Infrakan Pvt Ltd thru Narender SehgalOTHER अन्यकुछ ... हाजिर है | प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया | प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पटटा लेने वाला ने मेरे समक्ष पटटा देने वाला को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया |दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी Prakash Lum पिता --- निवासी Kherli Dausa व श्री/श्रीमती/कुमारी Rakesh Kumar पिता Raghbir Singh निवासी Sohna Gurugram ने की |

साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है |

दिनांक 11-11-2020

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(नुह)

Joint Sub-Registrar NUH

उपरोक्त भूमि को मुन्तकिल/पटटे पर देने में कोई कानूनी रूकावट नही है हमे विकास कार्य करने व घरेलू खर्चा के लिए धन की आवश्यकता है। अब हमने स्वस्थ चित व स्थिर बुद्वि से अपनी इस उपरोक्त भूमि रकबा 81 कनाल 9 मरले को सालाना लगान मुब 8,65,500/—लगान की दर से तिथि 05—11—2020 से तिथि 04—11—2023 तक 3 साल के लिए **मैसर्ज दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड निवासी 401, द ग्रैंड मॉल, एस एम रोड अम्बावाडी, अहमदाबाद गुजरात — 380015 बजरिये:— नरेन्द्र सेगल** को पटटे पर देते है। फर्म मजकूर इस भूमि को पटटा पर लेना स्वीकार करते है। भूमि रकबा 81 कनाल 9 मरले का कब्जा पटटा फर्म को मोके पर दे दिया है। हमने उपरोक्त भूमि का इस साल का जर पटटा मुब 8,65,500/— पटटा फर्म/मजकूर से पहले बजरिये चैक न0 000150 दिनांक 10.11.2020 —000307 दिनांक 06.11.2020 जारीकर्ता एच0डी0एफ0सी0 बैंक दिल्ली प्राप्त कर चुके है। बकाया जर पटटा राशि साल वा साल प्राप्त करते रहेगे और रसीद देते रहेगे जर पटटा अदा ना होने पर कानूनी कार्यवाही करके जर पटटा वसूल करने का अधिकार होगा। पटटा ग्रेहिता उपरोक्त भूमि मे कंक्रीट बैचिंग प्लाट, हॉट मिक्स प्लांट, कंज्यूमर पंप, स्टॉक यार्ड, केशर, आवास, स्टाफ मेस, वर्कर्स मेस, प्रोजेक्ट ऑफिस, स्टोर्स क्यूसी रूम, सीमेंट गोदाम और अन्य अस्थाई संरचनाएं जो परियोजना के लिए प्रयोग करे गरजे कि पटटेदार अपनी सुविधा के अनुसार उपरोक्त भूमि को हर प्रकार से प्रयोग मे लाए हमे किसी प्रकार का कोई उजर व ऐतराज नही होगा। म्याद समाप्त हो जाने पर पटटेदार हमे उपरोक्त भूमि का कब्जा वापिस करने का पाबन्द रहेगे। व पटटा म्याद बीत जाने पर यह पटटा नामा स्वंय रदद माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पटटे मे जो शर्ते रह गई है वे ऑपसी अनुबध के अनुसार रहेगी जिसकी प्रति दोनो पक्षो के पास रहेगी। यदि मालिक भूमि पटटा नामा की अवधि के दौरान उपरोक्त भूमि को बय आदि करेगा तो वह पटटा के अधीन होगा। लिहाजा यह पटटा नामा लिख दिया है ताकि सनद रहे। नूंह तिथि:— 11—11—2020

हस्ता पटटा कर्तागण:— दीनदयाल — रामबीर

(आ0 न0 4299 0771 0131) (आ0 न0 2574 1363 9257)

दीनदयाल Rambir

पटटा ग्रेहता फर्म की और से:— नरेन्द्र सेगल (आ0 न0 3421 7778 4333)

गवाह:—1— प्रकाश नम्बरदार नि0 खेडलीदोसा तह0 व जिला नूँह।

प्रकाश

—2— राकेश कुमार पुत्र रगबीर सिंह नि0 हाजीपुर तह0 सोहना जिला गुरूग्राम।

Reg. No. Reg. Year Book No.

3615 2020-2021 1

पटटा देने वाला

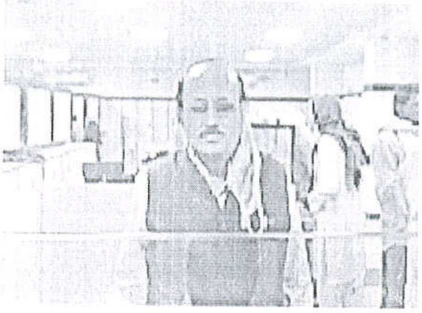

पटटा लेने वाला

गवाह

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

पटटा देने वाला :- दीनदयाल रामबीर रामबीर

पटटा लेने वाला :- thru Narender SehgalOTHERMS Dineshchandra R Aggarwal Infrakan Pvt Ltd

गवाह 1 :- Prakash Lum

गवाह 2 :- Rakesh Kumar

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 3615 आज दिनांक 11-11-2020 को बही नं 1 जिल्द नं 69 के पृष्ठ नं 169.75 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 362 के पृष्ठ संख्या 49 से 51 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है |

दिनांक 11-11-2020

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(नुह)

Joint Sub-Registrar

NUH

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 05/11/2020

Certificate No. G0E2020K766

GRN No. 68932293

Stamp Duty Paid : ₹ 101
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Deen Dayal

H.No/Floor 0 Sector/Ward : 69 LandMark : Badshahpur

City/Village: Badshahpur District : Gurugram State : Haryana

Phone: 70******42 Others : Rambir son of ramphal

Buyer / Second Party Detail

Name : Dinesh chandra r Agarwal Infracon pvt ltd

H.No/Floor : 401 Sector/Ward : 0 LandMark : The grand mall s m road

City/Village: Ambawari District : Ahamdabad State : Gujrat

Phone : 70******42

Purpose : Rent Agreement

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

दीनदयाल (आधार नम्बर- 4299 0771 0131)
पुत्र श्रीरामफल
07 दरबारिपुररोड, मातामंदिर के पास,
सेक्टर-69, दरबरिपुर (162), बादशाहपुर,
गुरुग्राम- 122101 (हरियाणा)

तथा

रामबीर (आधार नम्बर- 2574 1363 9257)
पुत्र श्रीरामफल
दरबारीपुररोड, मातामंदिर के पास,
सेक्टर-69, दरबारीपुर (162)
गुरुग्राम- 122101 (हरियाणा)

एवं

दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा0 लिमिटेड
401, द ग्रैंडमॉल, एस एम रोड
अम्बावाडी, अहमदाबाद-380015 गुजरात, भारत

दीनदयाल Rambir

विषयः प्रोजेक्ट कैंप एवं अस्थायी संरचनाएं जो परियोजना के लिए आवश्यक हो सकती हैं, की स्थापना के उद्देश्य के लिये भूमि देने का अनुबंध ।

1. यह कहा जाता है कि, श्री दीनदयाल–रामबीर पुत्रान श्री रामफल गाँव किरन्ज, तहसील व जिला नूँह के, खसरा नंबर 11//- 16/1,16/2, 24, 25 12//- 18 19/2, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 21/2, 22/1, 23/ 1, 14//- 1, 15/- 5, 4 में 50.88 (दीनदयाल 16.94 बीघा व रामबीर 33.94 बीघा) भूमि के मालिक हैं । और वह प्रोजेक्ट कैंप की स्थापना के लिए अपनी जमीन किराये पर देने की स्वीकृति देते हैं। इस जमीन पर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड कंक्रीट बैचिंग प्लांट, हॉटमिक्स प्लांट, कंज्यूमर पंप, स्टॉक यार्ड, क्रशर, आवास, स्टाफमेस, वर्कर्समेस, प्रोजेक्ट ऑफिस, स्टोर्स क्यूसी रूम, सीमेंट गोदाम और अन्य अस्थाई संरचनाएं जोपरियोजना के लिए आवश्यक होगी बनायेगें और इस पर श्रीदीनदयाल–रामबीर को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

2. भूमि को कार्य में उपयोग करने के लिए कुल शुल्क रूपये 17,000.00 (रूपये सत्रह हजार) प्रतिवर्ष प्रति बीघा 50.88 बीघा भूमि के लिए देय होगा । भूखंड एवं भूमि का आकार खसरा नंबर 11//- 16/1, 16/2, 24, 25 12//- 18 19/2, 20, 21/ 1, 21/2, 22/1, 21/2, 22/1, 23/1, 14//- 1, 15/- 5, 4 रिकॉर्ड और दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य भुगतान मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा श्रीदीनदयाल–रामबीर या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देय नहीं होगा।

3. भूमि समझौते की अवधि

भूमि समझौते की अवधि (खसरा नम्बर 11//- 16/1, 16/2, 24, 25 12//- 18 19 /2, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 21/2, 22/1, 23/1, 14//- 1, 15/- 5, 4 लगभग 50.88 बीघा) 2 साल होगी । यदि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड भूमि समझौते की अवधि दो साल से अधिक का विस्तार करना चाहते है, तो हम श्रीदीनदयाल रामबीर बिना किसी आपत्ति के एक वर्ष की अवधि के लिए इस तरह के विस्तार की अनुमति देते हैं । इस एक वर्ष की अवधि में भूमि शूल्क क्लॉज नंबर 1 पर उल्लेखित दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देय होगा। इस समझौते के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी । यदि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड तीन साल से आगे की अवधि के लिए भूमि पर अपना परिचालन जारी रखना चाहते है, तो दोनो पक्ष की आपसी सहमति से तय की हुई दरों पर समझौता किया जायेगा । समझौते की अन्य नियम और शर्त्तें अपरिवर्तित रहेगी । यदि परियोजना का समापन 24 महीने (चौबीस महीने) से कम समय में पूरा हो जाता है, तो भी उस स्थिति में मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड सहमति के अनुसार 2 वर्ष के किराए का भुगतान करेगें।

4. वित्तीय नियम और भुगतान प्रक्रिया–
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड क्लॉज नंबर 1 में उल्लेखित किराया राशि का अग्रिमभुगतान रूपये 25,000.00 (रूपये पचीस हजार मात्र) काट कर हम लोगों के नाम से चेक के माध्यम से एक सप्ताह में इस अनुबंध की तारीख से करेंगें । हम सभी बैंक विवरण, खाता संख्या, खाता धारक, बैंक आई०एफ०सी० कोड आदि प्रदान करेंगें और भुगतान किए जाने पर रसीद दे देंगें ।

5. ट्यूबवेल स्थापित, भूमि में स्थापित ट्यूबवेल, एवं बिजली कनेक्शन ट्रांसफार्मर द्वारा–
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को भूमि में पहले से स्थापित ट्यूबवेलों के उपयोग की अनुमति रहेगी जो टयूबबेल सभी विद्युत के बलों और इलेक्ट्रिक मीटर के साथ एच–पोल पर लगे ट्रांसफार्मर से संचालित है । मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा मुझे या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इसके उपयोग के लिए कोई अतिरिक्त लागत देय नहीं होगी । परियोजना की गतिविधियों के पूरा होने तक बिजली के मीटर की वास्तविक रीडिंग के अनुसार बिजली की खपत के लिए बिजली बिल का भुगतान मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड करेगा । बिल का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से सरकारी इलेक्ट्रिक विभाग को किया जाएगा और मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड मेरे सभी इलेक्ट्रिक पंप को उचित और सुचारू रूप से चलने वाले कंडिशन में वापिस करेंगें।

6. पुनः निर्माण–पहुंच मार्ग का ग्रेडिंग–चौड़ीकरण
हम श्रीदीनदयाल–रामबीर अपनी भूमि में एप्रोच रोड के लिए चौड़ीकरण के दौरान क्षेत्र की गतिविधियों में समर्थन करने के लिए सहमत हैं, जिसे 30 मी०(90 फीट) चौड़ाई के लिए आवश्यक हो सकता है, जिसके लिए मैं मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा पूरा होने तक उपकरण, जनशक्ति की तैनाती के दौरान समर्थन प्रदान करेंगें । हमारी भूमि में कोई भी बाधा, वैधानिक प्रबंधन, किसी भी पहुंचमार्ग के सुचारू चौड़ीकरण के लिए स्थानीय प्रबंधन की जिम्मेदारी हम लोगों श्रीदीनदयाल–रामबीर की होगी।

7. उपयोग के बाद भूमि मालिक को जमीन सौंपना–
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अपनी सभी सामग्रियों और उपकरणों की सफाई और पूरा भूमि मलबा हटाने के बाद मुझसे किराए पर ली गई जमीन सौंप देगा। यदि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड हमारी जमीन की सफाई नहीं करता है तो किसी अनसुलझे मामले के लिए नूंह कोर्ट का फैसला अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा ।

8. हम श्रीदीनदयाल--रामबीर,
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को कंक्रीट नींव में लोहे के पोस्ट के साथ कांटेदार तार की बाड़ एवं स्टील गेट को लगाने की अनुमति देते हैं जिसे परियोजना के पूरा होने के बाद हटा लिया जाएगा और हमारा बाड़, स्टील गेट एवं उपयोग में लाये हुए किसी भी सामान, मेटेरियल अथवा उपकरणों पर कोई अधिकार नहीं होगा । यह सम्पति मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा०लिमिटेड की है। इसके अलावा, मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अपनी परियोजना के निष्पादन के लिये इस भूमि पर आदमी और मशीनरी की सुविधा के लिए आवश्यक किसी भी विकास को करने के लिए स्वतंत्र है, जो हम श्रीदीनदयाल--रामबीर को पूरी तरह स्वीकार्य होगा।

9. नया निर्माण बिजली कनेक्शन--
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड निर्माण गतिविधियों के लिए एच० पोल या बिजली मीटर केबल्स, एल०टी०/एच०टी० लाइन को ठीक करने या नया बिजली कनेक्शन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं और हम सब श्रीदीनदयाल--रामबीर को कोई आपत्तिन हीं होगी । यह कनेक्शन सभी गतिविधियों के पूरा होने के बाद मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा हटा दिया जाएगा । हमें मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड हर तीन मास में जमा बिजली बिल की रसीद की प्रतिलिपि देंगें ।

10. चल रहे काम के दौरान, हमारी शिविर (कैम्प) भूमि में आसपास के क्षेत्र से संबंधित स्थानीय संगठन एवं घटनाओं के कारण से किसी भी बाधा को हम लोगों श्री दीनदयाल--रामबीर द्वारा तुरंत समाधान किया जाएगा । यह सुनिश्चित करना हम लोगों श्रीदीनदयाल--रामबीर की जिम्मेदारी होगी कि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा हमारी भूमि उपयोग के संबंध में कोई स्थानीय गतिरोध उत्पन्न न हो ।

11. निराकरण--अस्थाई संरचनाओं, प्लांट और अन्य संरचनाओं को हटाना--
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड सभी अस्थायी संरचनाओं--स्टोर, परियोजना कार्यालय आवास-- शेड, प्लांट जो स्थापित किये हैं को हटा लेगा । मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा स्थापित या लाए गए किसी भी सामग्री, मेटेरियल अथवा उपकरणों पर हम लोगों श्रीदीनदयाल--रामबीर का कोई अधिकार नहीं होगा । इस समझौते के पूरे समय के बीच मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा लाई गयी किसी भी सामग्री पर हम लोगों श्रीदीनदयाल--रामबीर का कोई अधिकार नहीं होगा यह सभी संपत्ति मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड पूर्ण रूप से है।

12. मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड के निर्देशों और प्रारूप के अनुसार, हम श्रीदीनदयाल–रामबीर 36 महीने (तीन साल) या उससे अधिक अवधि के लिए कृषि भूमि को औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्य में परिवर्तित करने के लिए, जिलाधिकारी, नूंह प्राधिकरण को लिखित रूप से अनुरोध करेंगें एवं ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर देंगें । मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अपनी व्यवस्था, संसाधनों और खर्चों के तहत प्राधिकरण के साथ सभी आवश्यक संपर्क करेगा । हम श्रीदीनदयाल–रामबीर केवल एक सहायक भूमिका में रहेंगें इसके अलावा, किसी भी अनुमोदन या वैधानिक कार्य के लिए, जहां भी हमारे श्री दीनदयाल–रामबीर के हस्ताक्षर या उपस्थिति की आवश्यकता होगी हम श्री दीनदयाल–रामबीर आगे बढ़ने के लिए वैधानिक प्रक्रियाओं के लिए मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा निर्देशित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगें एवं उपस्थित रहेंगें ।

13. किसी भी परिचालन या वितीय शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच विवाद और निपटान दोनों पक्षों के बीच आपसी परामर्श से समाधान कर लिए जाएंगे।

14. <u>पहली किस्त के लिए किराए का भुगतान–</u>

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड हम श्रीदीनदयाल–रामबीर को उनके भूमि में भाग (हिस्सा) के अनुसार उनके नाम पर चेक के माध्यम से कुल वार्षिक किस्त रूपये 17,000/– (रूपये सत्रह हजार मात्र) प्रति वर्ष प्रति बीघा देंगें। प्रथम किस्त में से रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार) की कटौती के बाद भुगतान किया जाएगा । वार्षिक किस्त हर साल अग्रिम दी जायेगी । भुगतान प्राप्त होने पर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को किस्त की रसीद दी जायेगी । सभी भुगतान दो वर्षों में वार्षिक अवधि की समान किस्तों में किए जाएंगे।

15. <u>हम श्रीदीनदयाल–रामबीर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को कोई कानूनी नोटिस नहीं देंगें ।</u>

अगर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अनुरोध करते हैं तो हम श्रीदीनदयाल–रामबीर परियोजना के पूरा होने से पहले या उससे पहले, यानी 24 महीने और 12 अतिरिक्त महीनों के बीच कैंप भूमि को खाली करने या छोड़ने के लिए कोई कानूनी नोटिस नहीं देंगें। श्रीदीनदयाल–रामबीर जमीन सौंपने तथा करारनामे पर हस्ताक्षर करने के बाद से परियोजना के निर्माण एवं पूरा करने तक हस्तक्षेप या कोई बाधा मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड के लिए उत्पन्न नहीं करेंगें ।

दीनदयाल

16. मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड काम के समाप्त होने के बाद मेरी भूमि वापिस करते वक्त आज की स्थिति के अनुसार डोलबन्दी करके देंगें।

दीनदयाल

श्रीदीनदयाल

श्रीरामवीर

Ranbir

नरेन्द्र सहगल

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड

साक्षीगण–

1\.

Hemant Pathak S/o Ramchand
Vill. Lalpura, P.O Mandpur
Teh & distt Palwal.

2\.

Rakesh Kumar
S/o Shri Raghbir Singh
VPO Hazipur Sohna
Gurgaon

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 04/11/2020

Certificate No. V0D2020K24

GRN No. 69013652

Stamp Duty Paid : ₹ 7500
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Ramphal

H.No/Floor : Na | Sector/Ward : Na | LandMark : Na

City/Village : Badshahpur | District : Gurugram | State : Haryana

Phone: 98******80 | Others : No

Buyer / Second Party Detail

Name : Ms dineshchandra r aipl

H.No/Floor : Na | Sector/Ward : Na | LandMark : Na

City/Village: Ahmedabad | District : Ahmedabad | State : Gujrat

Phone : 98******80 | Others : Through narender saigal

Purpose : PATTA NAMA DEED

3617

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

पत्र	सालाना लगान	स्टाम्प	शब्द
पटटा नामा भूमि	4,98,400/-	7,500/-	300

3 साल V0D2020K24

मौजा किरन्ज

मै रामफल पुत्र शेरसिंह पुत्र शिवलाल निवासी बादशाहपुर तह0 व जिला गुरूग्राम का हूँ। जो कि मै भूमि खे/खा 350/376 मुन0 11 किन0 14(7-10) 16/3(2-0) 17(7-10) जोड रकबा 17 कनाल 0 मरले (सालम) व खे/खा 352/378 मुन0 11 किन 15(8-0) 16/4(2-0) मुन0 12 किन0 11(8-0) जोड रकबा 18 कनाल 0 मरले (सालम) व खे/खा 463/498 मुन0 15 किन0 7(7-18) 14/1(4-0) जोड रकबा 11 कनाल 18 मरले (सालम) सभी खेवटो का कुल जोड रकबा 46 कनाल 18 मरले वाके मौजा किरन्ज तह0 व जिला नूँह का मालिक काबिज बरूवे जमाबन्दी साल 2016-2017 अनुसार हूँ। मेरी इस उपरोक्त भूमि किसी प्रकार का कोई भार नही है। उपरोक्त भूमि रहन, बय, पटटा, सम्पति हस्तात्रण, हकत्यागनामा, डिग्री आदि नही की हुई है। तथा इस का कोई अन्य इकरारनामा नही किया हुआ है। इस भूमि पर लोन भी नही लिया हुआ है। गरजे कि हर प्रकार से पाक साफ है मुझे उपरोक्त भूमि से कोई विशेष लाभ नही है। उपरोक्त भूमि को मुन्तकिल/पटटे पर देने में कोई कानूनी रूकावट नही है मुझे विकास कार्य करने व घरेलू खर्चा के लिए धन की आवश्यकता है। अब मैने स्वस्थ चित व

प्रलेख नं:3617 दिनांक:11-11-2020

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE

तहसील/सब-तहसील नुह गांव/शहर फिरन्ज फिरन्ज स्थित फिरन्ज

शहरी - म्युनिसिपल क्षेत्र सीमा के बाहर अन्य क्षेत्र

पता :

भवन का विवरण

कृषि बरानी 28 Kanal 18 Marla

खेवट नम्बर :- 350,463

धन सबंधी विवरण

राशि 298400 रुपये कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 4476 रुपये

स्टाम्प नं : v0d2020k24 स्टाम्प की राशि 7500 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 1000 रुपये EChallan:69179757 पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये

Drafted By: Sanjay Kumar Garg Adv Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनांक 11-11-2020 दिन बुधवार समय 1:20:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी रामफल पुत्र सेरसिह रामफल पुत्र शेरसिंह निवासा दवारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया |

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (नुह)

Joint Sub-Registrar

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

रामफल रामफल

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है |

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एंव ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है|

दिनांक 11-11-2020

रामफल रामफल

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (नुह)

Joint Sub-Registrar

NUH

उपरोक्त पटटा लेने वालाव श्री/श्रीमती/कुमारी MS Dineshchandra R Aggarwal Infrakan Pvt Ltd thru Narender SehgalOTHER अन्यकुछ ... हाजिर है | प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया | प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पटटा लेने वाला ने मेरे समक्ष पटटा देने वाला को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया |दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी Prakash Lum पिता --- निवासी Kherli Dausa व श्री/श्रीमती/कुमारी Dinesh Kumar पिता Raghbir Singh निवासी Sohna Gurugram ने की |

साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है |

दिनांक 11-11-2020

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(नुह)

Joint Sub-Registrar

NUH

हुआ है। इस भूमि पर लोन भी नही लिया हुआ है। गरजे कि हर प्रकार से पाक साफ है मुझे उपरोक्त भूमि से कोई विशेष लाभ नही है। उपरोक्त भूमि को मुन्तकिल/पटटे पर देने में कोई कानूनी रूकावट नही है मुझे विकास कार्य करने व घरेलू खर्चा के लिए धन की आवश्यकता है। अब मैने स्वस्थ चित व स्थिर बुद्वि से अपनी इस उपरोक्त भूमि रकबा 46 कनाल 18 मरले को सालाना लगान मुब 4,98,400/—लगान की दर से तिथि 05—11—2020 से तिथि 04—11—2023 तक 3 साल के लिए **मैसर्ज दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड निवासी 401, द ग्रैंड मॉल, एस एम रोड अम्बावाडी, अहमदाबाद गुजरात — 380015 बजरियेः— नरेन्द्र सेगल** को पटटे पर देता हूँ। फर्म मजकूर इस भूमि को पटटा पर लेना स्वीकार करता हूँ। भूमि रकबा 46 कनाल 18 मरले का कब्जा पटटा फर्म को मोके पर दे दिया है। मैने उपरोक्त भूमि का इस साल का जर पटटा मुब 4,22,500/— पटटा फर्म/मजकूर से पहले बजरिये चैक न0 000303 दिनांक 06.11.2020 जारीकर्ता एच0डी0एफ0सी0 बैंक दिल्ली प्राप्त कर चुके है। बकाया जर पटटा राशि साल वा साल प्राप्त करता रहूँगा और रसीद देता रहूँगा जर पटटा अदा ना होने पर कानूनी कार्यवाही करके जर पटटा वसूल करने का अधिकार होगा। पटटा ग्रेहिता उपरोक्त भूमि मे कंक्रीट बैचिंग प्लाट, हॉट मिक्स प्लांट, कंज्यूमर पंप, स्टॉक यार्ड, क्रेशर, आवास, स्टाफ मेस, वर्कर्स मेस, प्रोजेक्ट ऑफिस, स्टोर्स क्यूसी रूम, सीमेंट गोदाम और अन्य अस्थाई संरचनाएं जो परियोजना के लिए प्रयोग करे गरजे कि पटटेदार अपनी सुविधा के अनुसार उपरोक्त भूमि को हर प्रकार से प्रयोग मे लाए मुझे किसी प्रकार का कोई उजर व ऐतराज नही होगा। म्याद समाप्त हो जाने पर पटटेदार हमे उपरोक्त भूमि का कब्जा वापिस करने का पाबन्द रहूँगा। व पटटा म्याद बीत जाने पर यह पटटा नामा स्वंय रदद माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पटटे मे जो शर्ते रह गई है वे ऑपसी अनुबध के अनुसार रहेगी जिसकी प्रति दोनो पक्षो के पास रहेगी।यदि मालिक भूमि पटटा नामा की अवधि के दौरान उपरोक्त भूमि को बय आदि करेगा तो वह पटटा के अधीन होगा। लिहाजा यह पटटा नामा लिख दिया है ताकि सनद रहे। नूंह तिथिः— 05—11—2020

हस्ता पटटा कर्ताः— रामफल (आ0 न0 8954 9976 2213)

L.T.I रामफल

पटटा ग्रेहता फर्म की और सेः— नरेन्द्र सेगल (आ0 न0 3421 7778 4333)

गवाहः—1— प्रकाश नम्बरदार नि0 खेडलीदोसा तह0 व जिला नूँह।

प्रकाश।

—2— राकेश कुमार पुत्र रगबीर सिंह नि0 हाजीपुर तह0 सोहना जिला गुरूग्राम।

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
3617	2020-2021	1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

पटटा देने वाला :- रामफल रामफल

पटटा लेने वाला :- thru Narender SehgalOTHERMS Dineshchandra R Aggarwal Infrakan Pvt Ltd

गवाह 1 :- Prakash Lum

गवाह 2 :- Dinesh Kumar

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 3617 आज दिनांक 11-11-2020 को बही नं 1 जिल्द नं 69 के पृष्ठ नं 170.25 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 362 के पृष्ठ संख्या 55 से 57 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है |

दिनांक 11-11-2020

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(नुह)

Joint Sub-Registrar
NUH

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 05/11/2020

Certificate No. G0E2020K829

GRN No. 68932293

Stamp Duty Paid : ₹ 101
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Ramphal

H.No/Floor 0 Sector/Ward : 0 LandMark : Badshahpur

City/Village Badshahpur District : Gurugram State : Haryana

Phone: 70******42

Buyer / Second Party Detail

Name : Dinesh chandra r Agarwal Infracon pvt ltd

H.No/Floor : 401 Sector/Ward : 0 LandMark : The grand mall s m road

City/Village: Ambawari District : Ahamdabad State : Gujrat

Phone : 70******42

Purpose : Rent Agreement

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

अनुबंध पत्र

श्री रामफल (आधार नम्बर 8954 9976 2213)
पुत्र श्री शेरसिंह
मकान नं0 304, चौपाल के पास,
बादशाहपुर, जिला गुरुग्राम 122101 (हरियाणा)

एवं

दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा0 लिमिटेड
401, द ग्रैंडमॉल, एस एम रोड
अम्बावाडी, अहमदाबाद 380015
गुजरात, भारत

विषय: प्रोजेक्ट कैंप एवं अस्थायी संरचनाएं जो परियोजना के लिए आवश्यक हो सकती हैं, की स्थापना के उद्देश्य के लिये भूमि देने का अनुबंध ।

1. यह कहा जाता है कि श्री रामफल पुत्र श्री शेरसिंह वाका मौजा गाँव किरन्ज, तहसील व जिला नूँह के, खसरा नंबर 11//- 14, 16/3, 17, 15, 16/4, 12//- 11, 15//- 7 14/1 में 29.3 बीघा भूमि का मालिक हैं । और वह प्रोजेक्ट कैंप की स्थापना के लिए अपनी जमीन किराये पर देने की स्वीकृति देता हैं। इस जमीन पर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड कंक्रीट बैचिंग प्लांट, हॉटमिक्स प्लांट, कंज्यूमर पंप, स्टॉक यार्ड, क्रशर, आवास, स्टाफमेस, वर्कर्समेस, प्रोजेक्ट ऑफिस, स्टोर क्यूसी रूम, सीमेंट गोदाम और अन्य अस्थाई संरचनाएं जोपरियोजना के लिए आवश्यक होगी बनायेगें और इस पर श्री रामफल को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

2. भूमि को कार्य में उपयोग करने के लिए कुल शुल्क रूप्ये 17,000.00 (रूपये सत्रह हजार) प्रतिवर्ष प्रति बीघा 29.3 बीघा भूमि के लिए देय होगा । भूखंड एवं भूमि का आकार खसरा नंबर 11//- 14, 16/3, 17, 15, 16/4, 12//- 11, 15//- 7 14/1 में 29.3 बीघा रिकॉर्ड और दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य भुगतान मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा श्री रामफल या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देय नहीं होगा।

3. भूमि समझौते की अवधि

भूमि समझौते की अवधि खसरा नंबर 11//- 14, 16/3, 17, 15, 16/4, 12//- 11, 15//- 7 14/1 में 29.3 बीघा) 2 साल होगी । यदि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड भूमि समझौते की अवधि दो साल से अधिक का विस्तार करना चाहते है, तो मैं श्री रामफल बिना किसी आपति के एक वर्ष की अवधि के लिए इस तरह के विस्तार की अनुमति देते हैं । इस एक वर्ष की अवधि में भूमि शूल्क क्लॉज नंबर 1 पर उल्लेखित दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देय होगा। इस समझौते के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी । यदि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड तीन साल से आगे की अवधि के लिए भूमि पर अपना परिचालन जारी रखना चाहते है, तो दोनो पक्ष की आपसी सहमति से तय की हुई दरों पर समझौता किया जायेगा । समझौते की अन्य नियम और शर्त्तें अपरिवर्तित रहेगी । यदि परियोजना का समापन 24 महीने (चौबीस महीने) से कम समय में पूरा हो जाता है, तो भी उस स्थिति में मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड सहमति के अनुसार 2 वर्ष के किराए का भुगतान करेगें।

4. वित्तीय नियम और भुगतान प्रक्रिया–

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड क्लॉज नंबर 1 में उल्लेखित किराया राशि का अग्रिम भुगतान रूपये 25,000.00 (रूपये पचीस हजार मात्र) काट कर हम लोगों के नाम से चेक के माध्यम से एक सप्ताह में इस अनुबंध की तारीख से करेगें । हम सभी बैंक विवरण, खाता संख्या, खाता धारक, बैंक आई०एफ०सी० कोड आदि प्रदान करेगें और भुगतान किए जाने पर रसीद दे देगें ।

5. टयूबवेल स्थापित, भूमि में स्थापित टयूबवेल, एवं बिजली कनेक्शन ट्रांसफार्मर द्वारा—

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को भूमि में पहले से स्थापित टयूबवेलों के उपयोग की अनुमति रहेगी जो टयूबवेल सभी विद्युत के बलों और इलेक्ट्रिक मीटर के साथ एच—पोल पर लगे ट्रांसफार्मर से संचालित है । मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा मुझे या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इसके उपयोग के लिए कोई अतिरिक्त लागत देय नहीं होगी । परियोजना की गतिविधियों के पूरा होने तक बिजली के मीटर की वास्तविक रीडिंग के अनुसार बिजली की खपत के लिए बिजली बिल का भुगतान मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड करेगा । बिल का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से सरकारी इलेक्ट्रिक विभाग को किया जाएगा और मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड मेरे सभी इलेक्ट्रिक पंप को उचित और सुचारू रूप से चलने वाले कंडिशन में वापिस करेंगें।

6. पुनः निर्माण—पहुंच मार्ग का ग्रेडिंग—चौड़ीकरण!

मैं श्री रामफल अपनी भूमि में एप्रोच रोड के लिए चौड़ीकरण के दौरान क्षेत्र की गतिविधियों में समर्थन करने के लिए सहमत हूँ, जिसे 30 मी०(90 फीट) चौड़ाई के लिए आवश्यक हो सकता है, जिसके लिए मैं मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा पूरा होने तक उपकरण, जनशक्ति की तैनाती के दौरान समर्थन प्रदान करूँगा । मेरी भूमि में कोई भी बाधा, वैधानिक प्रबंधन, किसी भी पहुंचमार्ग के सुचारू चौड़ीकरण के लिए स्थानीय प्रबंधन की जिम्मेदारी मेरी होगी।

7. उपयोग के बाद भूमि मालिक को जमीन सौंपना—

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अपनी सभी सामग्रियों और उपकरणों की सफाई और पूरा भूमि मलबा हटाने के बाद मुझसे किराए पर ली गई जमीन सौंप देगा।

8. मैं श्री रामफल,

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को कंक्रीट नींव में लोहे के पोस्ट के साथ कांटेदार तार की बाड़ एवं स्टील गेट को लगाने की अनुमति देते हैं जिसे परियोजना के पूरा होने के बाद हटा लिया जाएगा और मेरा बाड़, स्टील गेट एवं उपयोग में लाये हुए किसी भी सामान, मेटेरियल अथवा उपकरणों पर कोई अधिकार नहीं होगा । यह सम्पति मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा०लिमिटेड की है। इसके अलावा, मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अपनी परियोजना के निष्पादन के लिये इस भूमि पर आदमी और मशीनरी की सुविधा के लिए आवश्यक किसी भी विकास को करने के लिए स्वतंत्र है, जो मैं श्री रामफल को पूरी तरह स्वीकार्य होगा।

9. नया निर्माण बिजली कनेक्शन–
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड निर्माण गतिविधियों के लिए एच० पोल या बिजली मीटर केबल्स, एल०टी०/एच०टी० लाइन को ठीक करने या नया बिजली कनेक्शन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं और मुझ रामफल को कोई आपतिन हीं होगी । यह कनेक्शन सभी गतिविधियों के पूरा होने के बाद मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा हटा दिया जाएगा ।

10. चल रहे काम के दौरान, हमारी शिविर (कैम्प) भूमि में आसपास के क्षेत्र से संबंधित स्थानीय समठन एवं घटनाओं के कारण से किसी भी बाधा को मेरे द्वारा तुरंत समाधान किया जाएगा । यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा हमारी भूमि उपयोग के संबंध में कोई स्थानीय गतिरोध उत्पन न हो ।

11. निराकरण–अस्थाई संरचनाओं, प्लांट और अन्य संरचनाओं को हटाना–
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड सभी अस्थायी संरचनाओं–स्टोर, परियोजना कार्यालय आवास– शेड, प्लांट जो स्थापित किये हैं को हटा लेगा । मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा स्थापित या लाए गए किसी भी सामग्री, मेटेरियल अथवा उपकरणों पर मेरा (रामफल) का कोई अधिकार नहीं होगा । इस समझौते के पूरे समय के बीच मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा लाई गयी किसी भी सामग्री पर मेरा रामफल का कोई अधिकार नहीं होगा यह सभी संपत्ति मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड पूर्ण रूप से है।

12. मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड के निर्देशों और प्रारूप के अनुसार, मैं रामफल 36 महीने (तीन साल) या उससे अधिक अवधि के लिए कृषि भूमि को औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्य में परिवर्तित करने के लिए, जिलाधिकारी, नूंह प्राधिकरण को लिखित रूप से अनुरोध करेंगें एवं ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर देंगें । मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अपनी व्यवस्था, संसाधनों और खर्चों के तहत प्राधिकरण के साथ सभी आवश्यक संपर्क करेगा । मैं रामफल केवल एक सहायक भूमिका में रहूँगा। इसके अलावा, किसी भी अनुमोदन या वैधानिक कार्य के लिए, जहां भी मेरी (रामफल) के हस्ताक्षर या उपस्थिति की आवश्यकता होगी तो मैं (रामफल) आगे बढ़ने के लिए वैधानिक प्रक्रियाओं के लिए मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा निर्देशित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करूँगा एवं उपस्थित रहूँगा ।

13. किसी भी परिचालन या वित्तीय शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच विवाद और निपटान दोनों पक्षों के बीच आपसी परामर्श से समाधान कर लिए जाएंगे। किसी भी अनसुलझे मामले के लिए, मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

14. पहलीकिस्त के लिए किराए का भुगतान-

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड मैं रामफल को उनके भूमि में भाग (हिस्सा) के अनुसार उनके नाम पर चेक के माध्यम से कुल वार्षिक किस्त रूपये 17,000/- (रूपये सत्रह हजार मात्र) प्रति वर्ष प्रति बीघा देंगें। प्रथम किस्त में से रूपये 25,000/- (रूप्ये पच्चीस हजार) की कटौती के बाद भुगतान किया जाएगा । वार्षिक किस्त हर साल अग्रिम दी जायेगी। भुगतान प्राप्त होने पर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को किस्त की रसीद दी जायेगी । सभी भुगतान दो वर्षों में वार्षिक अवधि की समान किस्तों में किए जाएंगे।

15. मैं श्री रामफल मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को कोई कानूनी नोटिस नहीं दूँगा ।

अगर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अनुरोध करते हैं तो मैं श्री रामफल परियोजना के पूरा होने से पहले या उससे पहले, यानी 24 महीने और 12 अतिरिक्त महीनों के बीच कैंप भूमि को खाली करने या छोड़ने के लिए कोई कानूनी नोटिस नहीं दूँगा । श्री रामफल जमीन सौंपने तथा करारनामे पर हस्ताक्षर करने के बाद से परियोजना के निर्माण एवं पूरा करने तक हस्तक्षेप या कोई बाधा मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड के लिए उत्पन्न नहीं करूँगा ।

16. मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड काम के समाप्त होने के बाद मेरी भूमि वापिस करते वक्त आज की स्थिति के अनुसार डोलबन्दी करके देंगें।

रामफल

नरेन्द्र सहगल

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड

साक्षीगण-

1. Hemant Pathak S/O Ramchand Vill- Palbura Teh & Distt Palwal

2. राकेश कुमार पुत्र रणबीर सिंह निo हाजीपुर तह० सोहना

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 11/11/2020

Certificate No. V0K2020K24

GRN No. 69319420

Stamp Duty Paid : ₹ 14650
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Sube singh

H.No/Floor : Na   Sector/Ward : Na   LandMark : Na

City/Village : Hajipur   District : Gurugram   State : Haryana

Phone: 98******80   Others : Five person etc

Buyer / Second Party Detail

Name : Ms dineshchandra r aipl

H.No/Floor : Na   Sector/Ward : Na   LandMark : Na

City/Village: Ahmedabad   District : Ahmedabad   State : Gujrat

Phone : 98******80   Others : Through narender saigal

Purpose : PATTA NAMA DEED

36.28

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

पत्र	सालाना लगान	स्टाम्प	शब्द
पटटा नामा भूमि	9,75,975/–	14,650/–	300

3 साल

मौजा किरन्ज

हमः– सुबे सिंह – दीपचन्द – होसीयार सिंह पुत्रान श्रीचन्द पुत्र तोताराम (समभाग 3/5 भाग) व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द (मालिक 1/15 भाग) व श्रीमति कांता विधवा राहुल पुत्र लालचन्द(मालिक 1/60 भाग) सर्व निवासी हाजीपुर तह0 सोहना जिला गुरुग्राम के है। जो कि हम भूमि खे/खा 432/467 मुन0 6 किन 9/2(2–1) 12/1(5–10) 19/2(5–16) 20/2(7–4) 21(8–0) मुन0 11 किन0 6/1(6–0) मुन0 12 किन0 1(8–0) 10(8–0) 12/1/1(1–14) 12/2/1(2–19) 19/1/2(2–7) कुल जोड रकबा 57 कनाल 5 मरले का 41/60 भाग बाकदर रकबा 39 कनाल 2 मरले 4 सरसाई वाके मौजा किरन्ज तह0 व जिला नूंह के उपरोक्त हिस्सो अनुसार मालिक काबिज बरूवे जमाबन्दी साल 2016–2017 व इन्तकाल न0 2245 मन्जूरशुदा अनुसार है। हमारी इस उपरोक्त भूमि किसी प्रकार का कोई भार नही है। उपरोक्त भूमि रहन, बय, पटटा, सम्पाते हस्तात्रण, हकत्यागनामा, डिग्री आदि नही की हुई है। तथा इस का कोई अन्य इकरारनामा किसी अन्य के साथ नही किया हुआ है। इस भूमि पर लोन वगैरा भी नही लिया हुआ है। गरजे कि हर प्रकार से पाक साफ है हमे उपरोक्त भूमि से कोई विशेष लाभ नही है। उपरोक्त भूमि को मुन्तकिल/पटटे पर देने मे कोई कानूनी रुकावट नही है हमे विकास कार्य करने व घरेलू खर्चो के

दिनांक:12-11-2020

प्रलेख न:3628

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE

स्थित किरन्ज

तहसील/सब-तहसील नुह

गांव/शहर किरन्ज

अन्य क्षेत्र

शहरी - म्युनिसिपल क्षेत्र सीमा के बाहर

पता :

भवन का विवरण

39 Kanal 2 Marla

कृषि बरानी

खेवट नम्बर :- 432

धन सबंधी विवरण

कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 14639 रुपये

राशि 975975 रुपये

स्टाम्प की राशि 14650 रुपये

पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये

स्टाम्प नं : v0k2020k24

EChallan:69331431

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 5000 रुपये

Service Charge:200

Drafted By: Sanjay Kumar Garg Adv

यह प्रलेख आज दिनांक 12-11-2020 दिन गुरुवार समय 11:58:00 AM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती कान्ता विधवा राहूल श्रीमती मीना देवी विधवा लालचन्द होसीयार सिह पुत्र श्रीचन्द दीपचन्द पुत्र श्रीचन्द सुबे सिह पुत्र श्रीचन्द निवास द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (नुह)

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्रीमती कान्ता श्रीमती मीना देवी होसीयार सिह दीपचन्द सुबे सिह

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एंव ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (नुह)

Joint Sub-Registrar NUH

दिनांक 12-11-2020

श्रीमती कान्ता श्रीमती मीना देवी होसीयार सिह दीपचन्द सुबे सिह

उपरोक्त पटटा लेने वालाव श्री/श्रीमती/कुमारी MS Dineshchandra R Aggarwal Infrakan Pvt Ltd thru Narender SehgalOTHER अन्यकुछ ..... हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पटटा लेने वाला ने मेरे समक्ष पटटा देने वाला को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया।दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी Prakash Lam पिता --- निवासी Kherli Dausa व श्री/श्रीमती/कुमारी Rakesh Kumar पिता Raghbir Singh निवासी Sohna Gurugram ने की।

साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है।

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(नुह)

Joint Sub-Registrar NUH

दिनांक 12-11-2020

लिए धन की आवश्यकता है। अब हमने स्वस्थ चित व स्थिर बुद्वि से अपनी इस उपरोक्त भूमि रकबा 39 कनाल 2 मरले 4 सरसाई को सालाना लगान मुब 9,75,975/–लगान की दर से तिथि 12–11–2020 से तिथि 11–11–2023 तक 3 साल के लिए **मैसर्ज दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड निवासी 401, द ग्रैंड मॉल, एस एम रोड अम्बावाडी, अहमदाबाद गुजरात – 380015 बजरिये:– नरेन्द्र सेगल** को पटटे पर देते है। फर्म मजकूर इस भूमि को पटटा पर लेना स्वीकार करते है। भूमि रकबा 39 कनाल 2 मरले 4 सरसाई का कब्जा पटटा फर्म मजकूर को मोके पर दे दिया है। हमने उपरोक्त भूमि का इस साल का जर पटटा मुब 9,75,975/– पटटा फर्म/मजकूर से पहले बजरिये आर0टी0जी0एस0 द्वारा प्राप्त कर चुके है। बकाया जर पटटा राशि साल वा साल प्राप्त करते रहेगे और रसीद देते रहेगे जर पटटा अदा ना होने पर कानूनी कार्यवाही करके जर पटटा वसूल करने का अधिकार होगा। पटटा ग्रेहिता उपरोक्त भूमि मे कंक्रीट बैचिंग प्लाट, हॉट मिक्स प्लांट, कंज्यूमर पंप, स्टॉक यार्ड, केशर, आवास, स्टाफ मेस, वर्कर्स मेस, प्रोजेक्ट ऑफिस, स्टोर्स क्यूसी रूम, सीमेंट गोदाम और अन्य अस्थाई संरचनाएं जो परियोजना के लिए प्रयोग करे गरजे कि पटटेदार अपनी सुविधा के अनुसार उपरोक्त भूमि को हर प्रकार से प्रयोग मे लाए हमे किसी प्रकार का कोई उजर व ऐतराज नही होगा। म्याद समाप्त हो जाने पर पटटेदार हमे उपरोक्त भूमि का कब्जा वापिस करने का पाबन्द रहेगे। व पटटा म्याद बीत जाने पर यह पटटा नामा स्वंय रदद माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पटटे मे जो शर्ते रह गई है वे ऑपसी अनुबध के अनुसार रहेगी जिसकी प्रति दोनो पक्षो के पास रहेगी। यदि मालिक भूमि पटटा नामा की अवधि के दौरान उपरोक्त भूमि को बय आदि करेगा तो वह पटटा के अधीन होगा। लिहाजा यह पटटा नामा लिख दिया है ताकि सनद रहे। नूंह तिथि:– 12–11–2020

हस्ता पटटा कर्तागण:– सुबे सिंह – दीपचन्द – होसीयार सिंह
(आ0 न0 7142 3386 8196) (आ0 न0 7157 5778 1821) (आ0 न0 2264 7211 2670)

श्रीमति मीना देवी – श्रीमति कांता
(आ0 न0 3233 7040 1330) (आ0 न0 7954 7877 6987)

पटटा ग्रेहता फर्म की और से:– नरेन्द्र सेगल (आ0 न0 3421 7778 4333)

गवाह:–1–

–2– राकेश कुमार पुत्र रगबीर सिंह नि0 हाजीपुर तह0 सोहना जिला गुरुग्राम।

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
3628	2020-2021	1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

पटटा देने वाला :- श्रीमती कान्ता श्रीमती मीना देवी होसीयार सिह दीपचन्द सुबे सिह

पटटा लेने वाला :- thru Narender SehgalOTHERMS Dineshchandra R Aggarwal Infrakan Pvt Ltd

गवाह 1 :- Prakash Lum

गवाह 2 :- Rakesh Kumar

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 3628 आज दिनांक 12-11-2020 को बही नं 1 जिल्द नं 69 के पृष्ठ नं 173 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 362 के पृष्ठ संख्या 87 से 89 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये हैं |

दिनांक 12-11-2020

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(नुह)

Joint Sub Registrar
NUH

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामफल पुत्र श्री शेर सिंह निवासी गांव बादशाहपुर, तहसील बादशाहपुर, जिला गुरूग्राम का निवासी है। रामफल पुत्र श्री शेर सिंह वाका मौजा किरन्ज, तहसील व जिला नूंह में अपनी भूमि खसरा मु0 न0 11, कीला न0 14, 16/3, 17, 15, 16/4, मु0 न0 12, कीला न0 11, मु0 न0 15, कीला न0 7, 14/1 कुल रकबा 29.3 बीघा का मालिक व काबिज है। उपरोक्त रामफल पुत्र शेरसिंह ने अपनी उपरोक्त भूमि का एक इकरारनामा बावत कन्करीट बैचिंग प्लान्ट, होटमिक्स प्लान्ट, कन्ज्यूमर पम्प, स्टाकयार्ड, केशर आवास, स्टॉफ मैश, वर्कर्स मैश, प्रोजेक्ट आफिस, स्टोर्स क्योरी रूम, सीमेंट गोदाम व अन्य संबंधित कार्य के लिए 03 वर्ष के लिए किराये पर मैसर्स दिनेश चन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकॉन प्रा0 लि0 को दिया है। उपरोक्त अराजी मैन रोड से 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव की आबादी से 1.05 किलोमीटर दूर है। उपरोक्त अराजी के आसपास कोई स्कूल, अस्पताल या अन्य कोई ऐसा निर्माण जिससे किसी प्रकार की हानि पहुंचती हो स्थित ना है। उपरोक्त अराजी पर उक्त प्लान्ट लगाये जाने से ग्रामवासियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना है। ग्राम पंचायत किरन्ज, तहसील व जिला नूंह को उक्त प्लान्ट लगाये जाने में कोई ऐतराज ना है।

दिनांक:— 06.11.2020

सरपंच

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीनदयाल पुत्र श्री रामफल निवासी 07, दरबारिपुर रोड, मातामंदिर के पास, सैक्टर—69, दरबारिपुर, बादशाहपुर, जिला गुरूग्राम—122101, हरियाणा तथा श्री रामबीर पुत्र श्री रामफल निवासी 07, दरबारिपुर रोड, मातामंदिर के पास, सैक्टर—69, दरबारिपुर, बादशाहपुर, जिला गुरूग्राम—122101, हरियाणा के निवासीगण हैं। दीनदयाल व रामबीर पुत्रान श्री रामफल वाका मौजा किरन्ज, तहसील व जिला नूंह में अपनी भूमि खसरा मु0 न0 11, 16/1, 16/2, 24, 25, मु0 न0 12, 18, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 21/2, 22/1, 23/1, मु0 न0 14, कीला न0 1, मु0 न0 15, कीला न0 5, 4 पे 50.88 (दीनदयाल 16.94 बीघा व रामबीर 33.94 बीघा) के मालिक व काबिज है। उपरोक्त दीनदयाल व रामबीर पुत्रान श्री रामफल ने अपनी उपरोक्त भूमि का एक इकरारनामा बावत कन्करीट बैचिंग प्लान्ट, होटमिक्स प्लान्ट, कन्ज्यूमर पम्प, स्टाकयार्ड, केशर आवास, स्टॉफ मैश, वर्कर्स मैश, प्रोजेक्ट आफिस, स्टोर्स क्यरी रूम, सीमेंट गोदाम व अन्य संबंधित कार्य के लिए 03 वर्ष के लिए किराये पर मैसर्स दिनेश चन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकॉन प्रा0 लि0 को दिया है। उपरोक्त अराजी मैन रोड से 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव की आबादी से 1.5 किलोमीटर दूर है। उपरोक्त अराजी के आसपास कोई स्कूल, अस्पताल या अन्य कोई ऐसा निर्माण जिससे किसी प्रकार की हानि पहुंचती हो स्थित ना है। उपरोक्त अराजी पर उक्त प्लान्ट लगाये जाने से ग्रामवासियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना है। ग्राम पचांयत किरन्ज, तहसील व जिला नूंह को उक्त प्लान्ट लगाये जाने में कोई ऐतराज ना है।

दिनांकः—

सरपंच

प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओमप्रकाश, सतीश, सतपाल पुत्रान श्री चिरन्जी लाल नजदीक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, गांव बादशाहपुर, तहसील बादशाहपुर, जिला गुरूग्राम--122101, हरियाणा के निवासीगण हैं। ओमप्रकाश, सतीश, सतपाल पुत्रान श्री चिरन्जी लाल वाका मौजा किरन्ज, तहसील व जिला नूंह में अपनी भूमि खसरा मु0 न0 12, 22/2, 23/2, 24, मु0 न0 14, कीला न0 2, 9, 10, मु0 न0 15, कीला न0 6 में 24.81 बीघा (ओमप्रकाश 8.27 बीघा, सतीश 8.27 बीघा व सतपाल 8.27 बीघा) के मालिक व काबिज हैं। उपरोक्त ओमप्रकाश, सतीश सतपाल पुत्रान श्री चिरन्जी लाल ने अपनी उपरोक्त भूमि का एक इकरारनामा बावत कन्करीट बैचिंग प्लान्ट, होटमिक्स प्लान्ट, कन्ज्यूमर पम्प, स्टाकयार्ड, केशर आवास, स्टॉफ मैश, वर्कर्स मैश, प्रोजेक्ट आफिस, स्टोर्स क्योरी रूम, सीमेंट गोदाम व अन्य संबंधित कार्य के लिए ..03.....वर्ष के लिए किराये पर मैसर्स दिनेश चन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकॉन प्रा0 लि0 को दिया है। उपरोक्त अराजी मैन रोड से 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव की आबादी से 1.5...किलोमीटर दूर है। उपरोक्त अराजी के आसपास कोई स्कूल, अस्पताल या अन्य कोई ऐसा निर्माण जिससे किसी प्रकार की हानि पहुंचती हो स्थित ना है। उपरोक्त अराजी पर उक्त प्लान्ट लगाये जाने से ग्रामवासियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना है। ग्राम पचांयत किरन्ज तहसील व जिला नूंह को उक्त प्लान्ट लगाये जाने में कोई ऐतराज ना है।

दिनांकः--

सरपंच

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 11/11/2020

Certificate No. V0K2020K23

GRN No. 69070442

Stamp Duty Paid : ₹ 101 (Rs. Only)

Penalty : ₹ 0 (Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Sube singh

H.No/Floor : Na Sector/Ward : Na LandMark : Na

City/Village : Hajipur District : Gurugram State : Haryana

Phone: 98******80 Others : Five person etc

Buyer / Second Party Detail

Name : Ms dineshchandra r aipl

H.No/Floor : Na Sector/Ward : Na LandMark : Na

City/Village: Ahmedabad District : Ahmedabad State : Gujrat

Phone : 98******80 Others : Through narender saigal

Purpose : AGREEMENT

अनुबंध पत्र

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

श्री सुबे सिंह (आधार नम्बर 7142 3386 8196) – दीपचन्द (आधार नम्बर 7157 5778 1821) – होसीयार सिंह (आधार नम्बर– 2264 7211 2670) – सुखचैन (आ0 न0 7245 5829 0449) – श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द (आ0 न0 3233 7040 1330) – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द (आ0 न0 7954 7877 6987)
पुत्रान श्रीचन्द
ग्राम व पोस्ट हाजीपुर तह0 सोहना
जिला गुरुग्राम– 122103 (हरियाणा)

एवं

दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा0 लिमिटेड
401, द ग्रैंडमॉल, एस एम रोड
अम्बावाड़ी, अहमदाबाद–380015
गुजरात, भारत

विषयः प्रोजेक्ट कैंप एवं अस्थायी संरचनाएं जो परियोजना के लिए आवश्यक हो सकती हैं, की स्थापना के उद्देश्य के लिये भूमि देने का अनुबंध ।

1. यह कहा जाता है कि, श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा

राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द वाका मौजा गाँव किरन्ज, तहसील व जिला नूँह के, मुन0 6//- 9/2, 12/1, 19/2, 20/2, 21 11//- 6/1, 12//- 1, 10, 12/1/1, 12/2/1, 19/1/2 में 35.75 बीघा (सुबेसिंह 7.15 बीघा व दीपचन्द 7.15 बीघा व होशियार सिंह 7.15 बीघा व सुखचैन 7.15 बीघा व श्रीमति मीना देवी 3.575 बीघा व श्रीमति कांता 3.575 बीघा) भूमि के मालिक हैं । और वह प्रोजेक्ट कैंप की स्थापना के लिए अपनी जमीन किराये पर देने की स्वीकृति देते हैं। इस जमीन पर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड कंक्रीट बैचिंग प्लांट, हॉटमिक्स प्लांट, कंज्यूमर पंप, स्टॉक यार्ड, क्रशर, आवास, स्टाफमेस, वर्कर्समेस, प्रोजेक्ट ऑफिस, स्टोर्स क्यूरी रूम, सीमेंट गोदाम और अन्य अस्थाई संरचनाएं जोपरियोजना के लिए आवश्यक होगी बनायेगें और इस पर श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन – श्रीमति मीना देवी – श्रीमति कांता को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

2. भूमि को कार्य में उपयोग करने के लिए कुल शुल्क रूप्ये 27,300.00 (रूपये सताईस हजार तीन सौ) प्रतिवर्ष प्रति बीघा 35.75 बीघा भूमि के लिए देय होगा । भूखंड एवं भूमि का आकार मुन0 6//- 9/2, 12/1, 19/2, 20/2, 21 11//- 6/1, 12//- 1, 10, 12/1/1, 12/2/1, 19/1/2 में 35.75 बीघा (सुबेसिंह 7.15 बीघा व दीपचन्द 7.15 बीघा व होशियार सिंह 7.15 बीघा व सुखचैन 7.15 बीघा व श्रीमति मीना देवी 3.575 बीघा व श्रीमति कांता 3.575 बीघा) रिकॉर्ड और दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य भुगतान मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा श्री औमप्रकाश – सतीश – सतपाल या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देय नहीं होगा।

3. भूमि समझौते की अवधि

भूमि समझौते की अवधि मुन0 6//- 9/2, 12/1, 19/2, 20/2, 21 11//- 6/1, 12//- 1, 10, 12/1/1, 12/2/1, 19/1/2 में 35.75 बीघा (सुबेसिंह 7.15 बीघा व दीपचन्द 7.15 बीघा व होशियार सिंह 7.15 बीघा व सुखचैन 7.15 बीघा व श्रीमति मीना देवी 3.575 बीघा व श्रीमति कांता 3.575 बीघा) 2 साल होगी । यदि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड भूमि समझौते की अवधि दो साल से अधिक का विस्तार करना चाहते है, तो हम श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द बिना किसी आपत्ति के एक वर्ष की अवधि के लिए इस तरह के विस्तार की अनुमति देते हैं । इस एक वर्ष की अवधि में भूमि शूल्क क्लॉज नंबर 1 पर उल्लेखित दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देय होगा। इस समझौते के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी । यदि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड तीन साल से आगे की अवधि के लिए भूमि पर अपना परिचालन जारी रखना चाहते है, तो दोनो पक्ष की आपसी सहमति से तय की हुई दरों पर समझौता किया जायेगा । समझौते की अन्य नियम और शर्त्ते अपरिवर्तित रहेगी । यदि परियोजना का समापन 24 महीने (चौबीस महीने) से कम समय में पूरा हो जाता है, तो भी उस स्थिति में मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड सहमति के अनुसार 2 वर्ष के किराए का भुगतान करेगें।

4. वित्तीय नियम और भुगतान प्रक्रिया–

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड क्लॉज नंबर 1 में उल्लेखित किराया राशि का अग्रिमभुगतान रूपये 25,000.00 (रूपये पचीस हजार मात्र) काट कर हम लोगों के नाम से चेक के माध्यम से एक सप्ताह में इस अनुबंध की तारीख से करेंगें । हम सभी बैंक विवरण, खाता संख्या, खाता धारक, बैंक आई०एफ०सी० कोड आदि प्रदान करेंगें और भुगतान किए जाने पर रसीद दे देंगें ।

5. टयूबवेल स्थापित, भूमि में स्थापित टयूबवेल, एवं बिजली कनेक्षन ट्रांसफार्मर द्वारा—
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को भूमि में पहले से स्थापित ट्यूबवेलों के उपयोग की अनुमति रहेगी जो टयूबवेल सभी विद्युत के बलों और इलेक्ट्रिक मीटर के साथ एच—पोल पर लगे ट्रांसफार्मर से संचालित है । मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा मुझे या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इसके उपयोग के लिए कोई अतिरिक्त लागत देय नहीं होगी । परियोजना की गतिविधियों के पूरा होने तक बिजली के मीटर की वास्तविक रीडिंग के अनुसार बिजली की खपत के लिए बिजली बिल का भुगतान मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड करेगा । बिल का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से सरकारी इलेक्ट्रिक विभाग को किया जाएगा और मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड मेरे सभी इलेक्ट्रिक पंप को उचित और सुचारू रूप से चलने वाले कंडिशन में वापिस करेंगें।

6. पुनः निर्माण—पहुंच मार्ग का ग्रेडिंग—चौड़ीकरण
हम श्री सुबेसिंह — दीपचन्द — होशियार सिंह — सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व — श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द अपनी भूमि में एप्रोच रोड के लिए चौड़ीकरण के दौरान क्षेत्र की गतिविधियों में समर्थन करने के लिए सहमत हैं, जिसे 30 मी०(90 फीट) चौड़ाई के लिए आवश्यक हो सकता है, जिसके लिए मैं मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा पूरा होने तक उपकरण, जनशक्ति की तैनाती के दौरान समर्थन प्रदान करेंगें । हमारी भूमि में कोई भी बाधा, वैधानिक प्रबंधन, किसी भी पहुंचमार्ग के सुचारू चौड़ीकरण के लिए स्थानीय प्रबंधन की जिम्मेदारी हम लोगों श्री सुबेसिंह — दीपचन्द — होशियार सिंह — सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व — श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द की होगी।

7. उपयोग के बाद भूमि मालिक को जमीन सौंपना—
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अपनी सभी सामग्रियों और उपकरणों की सफाई और पूरा भूमि मलबा हटाने के बाद मुझसे किराए पर ली गई जमीन सौंप देगा।

8. हम श्री औमप्रकाश — सतीश — सतपाल,
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को कंक्रीट नींव में लोहे के पोस्ट के साथ कांटेदार तार की बाड़ एवं स्टील गेट को लगाने की अनुमति देते हैं जिसे परियोजना के पूरा होने के बाद हटा लिया जाएगा और हमारा बाड़, स्टील गेट एवं उपयोग में लाये हुए किसी भी सामान, मेटेरियल अथवा उपकरणों पर कोई अधिकार नहीं होगा । यह सम्पति मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन

कांता

प्रा०लिमिटेड की है। इसके अलावा, मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अपनी परियोजना के निष्पादन के लिये इस भूमि पर आदमी और मशीनरी की सुविधा के लिए आवश्यक किसी भी विकास को करने के लिए स्वतंत्र है, जो हम श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द को पूरी तरह स्वीकार्य होगा।

9. नया निर्माण बिजली कनेक्शन–
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड निर्माण गतिविधियों के लिए एच० पोल या बिजली मीटर केबल्स, एल०टी०/एच०टी० लाइन को ठीक करने या नया बिजली कनेक्शन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं और हम सब श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द को कोई आपत्तिन हीं होगी । यह कनेक्शन सभी गतिविधियों के पूरा होने के बाद मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा हटा दिया जाएगा ।

10. चल रहे काम के दौरान, हमारी शिविर (कैम्प) भूमि में आसपास के क्षेत्र से संबंधित स्थानीय संगठन एवं घटनाओं के कारण से किसी भी बाधा को हम लोगों श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द द्वारा तुरंत समाधान किया जाएगा । यह सुनिश्चित करना हम लोगों श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द की जिम्मेदारी होगी कि मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा हमारी भूमि उपयोग के संबंध में कोई स्थानीय गतिरोध उत्पन न हो ।

11. निराकरण–अस्थाई संरचनाओं, प्लांट और अन्य संरचनाओं को हटाना–
मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड सभी अस्थायी संरचनाओं–स्टोर, परियोजना कार्यालय आवास– शेड, प्लांट जो स्थापित किये हैं को हटा लेगा । मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा स्थापित या लाए गए किसी भी सामग्री, मेटेरियल अथवा उपकरणों पर हम लोगों श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द का कोई अधिकार नहीं होगा । इस समझौते के पूरे समय के बीच मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा लाई गयी किसी भी सामग्री पर हम लोगों श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द का कोई अधिकार नहीं होगा यह सभी संपत्ति मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड पूर्ण रूप से है।

कांता

12. मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड के निर्देशों और प्रारूप के अनुसार, हम श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द 36 महीने (तीन साल) या उससे अधिक अवधि के लिए कृषि भूमि को औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्य में परिवर्तित करने के लिए, जिलाधिकारी, नूंह प्राधिकरण को लिखित रूप से अनुरोध करेंगें एवं ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर देंगें । मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अपनी व्यवस्था, संसाधनों और खर्चों के तहत प्राधिकरण के साथ सभी आवश्यक संपर्क करेगा । हम श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द केवल एक सहायक भूमिका में रहेंगें इसके अलावा, किसी भी अनुमोदन या वैधानिक कार्य के लिए, जहां भी हमारे श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द के हस्ताक्षर या उपस्थिति की आवश्यकता होगी हम श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द आगे बढ़ने के लिए वैधानिक प्रक्रियाओं के लिए मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड द्वारा निर्देशित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगें एवं उपस्थित रहेंगें ।

13. किसी भी परिचालन या वित्तीय शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच विवाद और निपटान दोनों पक्षों के बीच आपसी परामर्श से समाधान कर लिए जाएंगे। किसी भी अनसुलझे मामले के लिए, मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

14. <u>पहलीकिस्त के लिए किराए का भुगतान–</u>

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड हम श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द को उनके भूमि में भाग (हिस्सा) के अनुसार उनके नाम पर चेक के माध्यम से कुल वार्षिक किस्त रूपये 27,300/– (रूपये सताईस हजार तीन सौ मात्र) प्रति वर्ष प्रति बीघा देंगें। प्रथम किस्त में से रूपये 25,000/– (रूप्ये पच्चीस हजार) की कटौती के बाद भुगतान किया जाएगा । वार्षिक किस्त हर साल अग्रिम दी जायेगी। भुगतान प्राप्त होने पर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को किस्त की रसीद दी जायेगी । सभी भुगतान दो वर्षों में वार्षिक अवधि की समान किस्तों में किए जाएंगे।

15. <u>हम श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड को कोई कानूनी नोटिस नहीं देंगें ।</u>

अगर मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड अनुरोध करते हैं तो हम श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द परियोजना के पूरा होने से पहले या उससे पहले, यानी 24 महीने और 12 अतिरिक्त महीनों के बीच कैंप भूमि को खाली करने या छोड़ने के लिए कोई कानूनी नोटिस नहीं देंगें। श्री सुबेसिंह – दीपचन्द – होशियार सिंह – सुखचैन पुत्रान श्रीचन्द व श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द व – श्रीमति कांता विधवा राहुल कुमार पुत्र लालचन्द पुत्र श्रीचन्द जमीन सौंपने तथा करारनामे पर हस्ताक्षर करने के बाद से परियोजना के निर्माण एवं पूरा करने तक हस्तक्षेप या कोई बाधा मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड के लिए उत्पन्न नहीं करेंगें ।

16. मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड काम के समाप्त होने के बाद मेरी भूमि वापिस करते वक्त आज की स्थिति के अनुसार डोलबन्दी करके देंगें।

सुबेसिंह –	दीपचन्द –	होशियार सिंह
सुखचैन –	श्रीमति मीना देवी –	श्रीमति कांता

नरेन्द्र सहगल

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

मैसर्स दिनेशचंद्र आर० अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा० लिमिटेड

साक्षीगण–

1. Rakesh Kumar VPO Harzipur Sohna Gurgaon 122103 (HR)

2. Hemant Pathak S/O Ramchand

हलफनामा

मै श्रीमति कांता (आ0 न0 7954 7877 6987) विधवा राहुल पुत्र लालचन्द निवासी हाजीपुर तह0 सोहना जिला गुरूग्राम की हूँ। जो कि मै निम्नलिखित हलफन ब्यान करती हूँ कि:-

1- यह कि मै उपरोक्त पते की स्थाई निवासी हूँ।

2- यह कि मेरी अपनी भूमि 3.575 बीघा वाका मौजा किरन्ज तह0 नूँह को 3 वर्ष के लिए मैसर्ज दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड निवासी 401, द ग्रैंड मॉल, एस एम रोड अम्बावाडी, अहमदाबाद गुजरात - 380015 बजरिये:- नरेन्द्र सेगल के पटटे पर दी है।

3- यह कि मेरी उपरोक्त भूमि की जों जरपटटा राशि बनती है। व मेरी सास श्रीमति मीना देवी विधवा लालचन्द पुत्र श्रीचन्द के खाते मे टांसफर कर दी जाए। जिसमे मुझे कोई ऐतराज नही होगा। और ना ही भविष्य मे कोई ऐतराज करूँगी।

कांता

शपथकार

तसदीक:-

मै तसदीक करती हूँ कि उपरोक्त ब्यान मेरे यकीन व ज्ञान से अनुसार सही एवं दुरूस्त है तथा उनमें कोई भी भाग असत्य नही है और ना ही कोई भाग छुपाया गया है।

दिनांक:- 12.11.2020

शपथकार

कांता